

प्रेषक,

कुलदीप सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण,
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग

लखनऊ: दिनांक: 30 जून, 2021

विषय:-वित्तीय वर्ष 2021-22 में उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड के कार्यों के संचालन हेतु मद संख्या-20 (गैर वेतन) में धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक ऊर्जा विकास अभिकरण के पत्र संख्या-302/यूपीनेडा- उ0प्र0रा0जै0ऊ0वि0बो0/2021-22, दिनांक 18 मई, 2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड के प्रस्तावित परियोजनाओं/कार्यों के क्रियान्वयन हेतु ऊर्जा विकास अभिकरण, उ0प्र0 को आय-व्ययक के अनुदान संख्या-70 के अन्तर्गत मद संख्या-20 में प्राविधानित धनराशि रू0 100.00 लाख में से 25 प्रतिशत धनराशि रू0 25,00,000/- (रू0 पच्चीस लाख मात्र) को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने हेतु सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

2- उक्त स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय_≤ पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों में निहित प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि से किसी भी अनानुमोदित मद/मदों पर व्यय न किया जाय। अनुदान का बिल अनु सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

4- उक्त धनराशि से संबंधित व्यय के उपयोगिता प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के पैरा- 369एच के अनुसार यथासमय शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जाये। इस अनुदान का लेखा सम्परीक्षा स्थानीय निधि लेखा से कराकर आडिट रिपोर्ट भी शासन को उपलब्ध करा दी जाये।

5- उक्त स्वीकृत धनराशि के अन्तर्गत शासन द्वारा वित्त विभाग की सहमति से स्वीकृत वाहन/पी0ओ0एल0 आदि के संबंध में शासनादेश संख्या-315/दस-सं.-वि.वि.-2/97, दिनांक 19-03-1997 के निर्देशानुसार व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

6- स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय जाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 तथा समय- समय पर जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

7- इस संबंध में होने वाला व्यय अनुदान संख्या-70 में चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के लेखाशीर्षक-“2810-अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत-01-बायो ऊर्जा-800-अन्य व्यय-03-उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के लिये रू0 25,00,000/-के नामे डाला जायेगा”।

8- यह आदेश वित्त विभाग के (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

कुलदीप सिंह

अनु सचिव ।

संख्या एवं दिनांक: तदैव।

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) महालेखाकार (प्रथम) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- (2) कोषाधिकारी, लखनऊ।
- (3) वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10, 30प्र0 शासन।
- (4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, 30प्र0 शासन।
- (5) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, 30 प्र0 प्रयागराज।
- (6) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कुलदीप सिंह

अनु सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।